संख्या-242/2017/78/22-2-2017-17(15)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊः दिनांक 28 मार्च, 2017***

विषयः- जिला कारागार, उरई में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अतर सिंह पुत्र श्री राधेलाल, निवासी- जनपद-कानपुर देहात की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1553/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-04-01-2017 दिनांक 17-01-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 17-01-2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, उरई में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अतर सिंह पुत्र श्री राधेलाल, निवासी-लहरापुर, थाना-अकबरपुर, जनपद कानपुर देहात का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जानवरों को लेकर झगडे की रंजिश को लेकर दिनांक 22-11-1981 को 08 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुल्हाडी, कांता, भाला व लाठी से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-21/1982 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 149, 302, 323 के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जालौन स्थान उरई द्वारा दिनांक 17-02-1987 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31-10-2014 को सत्र न्यायालय के निर्णय को यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.12.2016 तक 01 वर्ष 09 माह 00 दिन की अपरिहार एवं 01 वर्ष 11 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है । पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, जालौन स्थान उरई द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। दयायाचिका समिति ने बन्दी द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष काटी गयी मात्र 01 वर्ष 09 माह 00 दिन की अपरिहार सजा, कारित अपराध की गम्भीरता/जघन्यता एवं 03 व्यक्तियों की हत्या किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है।

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट पिटीशन (क्रिमिनल) सं0-10160/2016 ध्यानी सिंह व 02 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-12-2016 के अनुपालन तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी अतर सिंह (बन्दी संख्या-45/15) पुत्र श्री राधेलाल, निवासी-जनपद-कानपुर देहात की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-242/2017/78/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जालौन स्थान उरई।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, उरई।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in